

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
पीठासीन अधिकारी—श्रीमती पारूल कुमारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (उ.प्र. 3546)

UPHP120004932026

पंजीकरण संख्या—156 / 2026

वाद संख्या—793 / 2026

मु0अ0सं0—316 / 2025

सरकार बनाम मारुफ

अंतर्गत धारा—109, 352, 324(4), 351(3) बी.एन.एस. व 3 / 25 / 27 आयुध अधिनियम

थाना—गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़

सत्र सुपुर्दगी आदेश

दिनांक—20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **मारुफ पुत्र इरशाद** जेरे जमानत हाजिर अदालत आया। पुलिस थाना/विवेचक गढ़मुक्तेश्वर द्वारा मु.अ.सं. 316 / 2025 में अभियुक्त **मारुफ पुत्र इरशाद** के विरुद्ध धारा—109, 352, 324(4), 351(3) बी.एन.एस. व 3 / 25 / 27 आयुध अधिनियम में आरोपित करके विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या 401 / 2025 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार थाना—गढ़मुक्तेश्वर द्वारा अभियुक्त **मारुफ पुत्र इरशाद** के विरुद्ध मु0अ0सं0—316 / 2025, अंतर्गत धारा—109, 352, 324(4), 351(3) बी.एन.एस. व 3 / 25 / 27 आयुध अधिनियम, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। पत्रावली को माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

दौरान सत्र विचारण व निस्तारण तक अन्यथा आदेश की दशा में अभियुक्त माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा।

फौजदारी लिपिक नियमानुसार कैलेण्डर तैयार करें और पत्रावली कैलेण्डर तैयार करने के उपरान्त माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

सत्र सुपुर्दगी की सूचना लोक अभियोजक को दी जाये।

अभियुक्त **मारुफ पुत्र इरशाद** माननीय सत्र न्यायालय, हापुड़ के समक्ष **दिनांक 13.08.2026** को उपस्थित हों।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज(जू0डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।